283

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

की

ऑडिट रिपोर्ट

अवधि

वर्ष 2002–2003

Scanned with CamScanner

सचिव, विकास प्राधिकरण हरिद्वार।
भाग-तीन संलग्न है। (दो प्रति) (66)

स्था० स०/2(5)
23.7.2005

(282)

/08

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट, उत्तरांचल, (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग) देहरादून।

27/14

सम्परीक्षा आख्या भाग–प्रथम

लेखे का नाम :– हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार।

सम्परीक्षा अवधि :– 2002–2003

प्रशासन :– आलोच्य वर्ष के प्रारम्भ से दिनांक 27.12.2002 तक श्री दिलबाग सिंह तत्पश्चात् श्री ओमप्रकाश प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा श्री रमाशंकर वर्ष पर्यन्त सचिव पद पर आसीन रहे।

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण :– इसका विवरण संलग्न परिशिष्ट ''क'' में अंकित है।

टिप्पणी :– आपत्तियों का यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(पी० के० जैन)
सहायक निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग,
देहरादून।

स्थान– देहरादून
दिनांक– 13.9.2004
रत्नेश कुमार श्रीवास्तव,
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

OS
कृ० अनुभागवार आडिट आपत्तियां सुनिश्चित कर निराकरण करायें।

Dy Secty
28/7/05

Scanned with CamScanner

सा0/08

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट,
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग) देहरादून।

सम्परीक्षा आख्या भाग–दो(अ)

लेखे का नाम :– हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार।

सम्परीक्षा अवधि :– 2002–2003

सम्परीक्षा में पायी गयी गम्भीर अनियमितताऐं :–

————————————————शून्य————————————————

स्थान– देहरादून
दिनांक– 13.9.2004
रत्नेश कुमार श्रीवास्तव,
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

(पी0 के0 जैन)
सहायक निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,
देहरादून।

Scanned with CamScanner

(67)

281

27/13

सं0/08

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट, उत्तरांचल,
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग) देहरादून।

सम्परीक्षा आख्या भाग–दो(ब)

लेखे का नाम :– हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार।

सम्परीक्षा अवधि :– 2002–2003

सम्परीक्षा तिथि :– सम्परीक्षा दिनांक 21.4.2003 को प्रारम्भ एवं दिनांक 17.7.2003 को समाप्त की गयी।

1– उल्लेखनीय अनियमिततायें :–

(1) मान0/हरि0/251 से सम्बन्धित अनियमिततायें :– मा0/हरि0/251 श्री संजय कुमार रंजय कुमार के मानचित्र अवलोकन से निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकाश में आयी जिससे प्राधिकरण को गम्भीर आर्थिक क्षति हुई।

(क) प्राधिकरण द्वारा प्रेषित आपत्ति नोटिस दिनांक 29.11.2001 द्वारा स्पष्ट था कि स्थल का अधिकांश भाग आवासीय (आर–I) क्षेत्र में था तथा आंशिक भाग आवासीय ग्रामीण क्षेत्र बी–2 के अन्तर्गत था। उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 22.1.2002 को उक्त मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया था किन्तु टी0पी0 द्वारा उक्त मानचित्र व्यवसायिक होने के बावजूद दिनांक 12.6.2002 को स्वीकृत कर दिया गया था। अतः उपाध्याय से अनुमोदन प्राप्त कर दिखाया जाय अन्यथा स्थिति में उक्त स्थल महायोजना के बी–2 में होने का प्रमाण पत्र सहयुक्त नगर नियोजक देहरादून से प्राप्त किया जाय तत्पश्चात् इस प्रकरण का अन्तिम निस्तारण उपाध्यक्ष महोदय से ही कराया जाय। क्योंकि उपाध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत मानिचत्र टी0पी0 द्वारा स्वीकृत करने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत करने के कारण संस्था को लगभग 12 लाख रू0 की हानि सम्भावित है।

Scanned with CamScanner

उक्त स्थल महायोजना के बी–2 में होने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी उपाध्यक्ष द्वारा ही पत्रावली का निस्तारण कराया जाना चाहियें क्योंकि सम्बन्धित पत्राव द्वारा ही अस्वीकृत की गयी थी।

(घ) अभियन्ता द्वारा सब डिवीजन शुल्क का आगणन 293.43 × 4000× 2 प्रतिशत = गया था किन्तु प्राप्त नही किया गया था जबकि दिनांक 6.10.2001 को किये गये संजय कुमार एवं रंजय कुमार ने भूखण्ड विभाजन की शर्ते तय की थी। अतः सब लिये जाने से रू0 23474=00 की हानि हुई।

(2) शमन शुल्क की हानि रू0 693894=00 :– मानचित्र/हरि0/98/2002–2003 के मानचित्र में अग्र भाग में सेट बैक 01 मीटर छोड़ा गया था तथा पृष्ठ भाग में छोड़ा भवन उप विधि के प्रस्तर 3: 4: 2 पर प्रार्थना सभा के लिए अग्रभाग में 06 मीटर पृष्ठ एवं पार्श्व में 01 एवं 02 में कमशः 3–3 मीटर छोड़े जाने का प्राविधान था। सम्परीक्षा आश्रम आवासीय श्रेणी में लिया जाना है किन्तु इसकी अभिलेखों से पुष्टि नही हो सकी स्वीकृत मानचित्र में दैनिक प्रार्थना सभा अंकित था। अतः भवन उपविधि के अन्तर्गत एवं पार्किंग का प्राविधान आवश्यक था। अतः अनधिकृत निर्माण के शमन एवं आवश्यक है। दैनिक प्रार्थना सभा को भवन उपविधि के प्रस्तर 3: 4: 2 में लेकर आवासीय श्रेणी संस्था को निम्न हानि हुई।

सेट बैक की गणना :–

क्षेत्रफल = 11.73 × 1.5 = 17.595 व0मी0

शमन शुल्क = क्षेत्रफल × (200+सर्किल दर)

= 17.595 × (200+3900)

= 72139.50

= 72140.00

2– पृष्ठ भाग की गणना :–

क्षेत्रफल = 11.73 × 3=35.19 /2 मीटर

देय शमन शुल्क = क्षेत्रफल × (सर्किल दर × ½ + 200)

=35.19 × (3900 × ½ + 200=

= 75658.50

Scanned with CamScanner

68

280

27/12

किन्तु 10 प्रतिशत तक ही शमनीय = 7565.85

= 7566.00

3- पार्श्व की गणना :-

क्षेत्रफल = 12.95

शमन शुल्क = क्षेत्रफल × (सर्किल दर का 75 प्रतिशत +200)

= 12.95 × 3125 = 40468.75

= 40469.00

किन्तु 25 प्रतिशत ही शमनीय = 10117.00

4- आवश्यक पार्किंग :-

शमन शुल्क =क्षे.त्रफल × सर्किल दर का दुगना

= 77.37 × (3900 × 2)

= 603486.00

5- मानचित्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट था कि ममटी जिसका क्षेत्रफल 3.40 × 3.74 = 12.72/2 मीटर का विकास शुल्क 381.60 अम्बार शुल्क 139.92 एवं पर्यवेक्षक शुन्ल्क 63.60 कुल 585.12 को आगणन में शामिल नही किया गया जिस कारण 585.12 की हानि हुई।

अतः 72140+7566–10117+603486+585 = 693894.00 की कुल हानि हुई।

इस सम्बन्ध में दैनिक प्रार्थना सभा को आवसीय श्रेणी में लिये जाने के सम्बन्ध में उपविधियों से स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा उपरोक्त हानि की पूर्ति वांछित है।

3- भू-परिवर्तन / विकास शुल्क की हानि रू0 683858 :- मा0/हरि0/150/2002–2003 मीना मोदी /अजय मोदी के मानचित्र का अवलोकन करने से विदित हुआ कि मानचित्र में 86.74 वर्गमीटर बेसमेन्ट था जिसकी दरें व्यापारिक न लेकर आवासीय थी। पत्रावली में ऐसा कोई अभिलेख नही था जिससे इसके आवासीय उपयोग की पुष्टि होती हो। अतः विकास शुल्क का आगणन दुगनी दर पर किया जाना चाहिए था। ऐसा न करने से संस्था को रू0 7286=16 की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान में आर–। क्षेत्र में व्यापारिक उपयोग निषिद्ध था। अतः शासन की अनुमति आवश्यक थी। भू–परिवर्तन शुल्क के रूप में 86.74 × 7800= 676572.00 की वसूली की जानी चाहिये थी। इस सम्बन्ध में अभिलेखो से पुष्टि करायी जाय अन्यथा उपरोक्त धनराशि की वसूली की जाये।

4– उप विभाजन शुल्क न लिये जाने से हानि रू0 9138=00 :– मानचित्र/हरि0/
नित्य श्रद्धानन्द की पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि अभिलेखों से भू-स्वामि
पुष्टि नही हुई। तहसीलदार की आख्या से भी स्पष्ट है किन्तु मानचित्र स्वीकृत कर दि

उप विभाजन शुल्क 198.655 × 2300 × 2 प्रतिशत = 9138.00 की गणना
लिया गया। फलस्वरूप प्राधिकरण को रू0 9138.00 की हानि हुई। इसकी क्षतिपूर्ति
अपेक्षित है।

5– उप विभाजन शुल्क न लिया जाना, हानि रू0 2305=00 :– मान0/हरि0/
विदित हुआ कि उप विभाजन शुल्क 144.05 × 1600× 1 प्रतिशत = 2305.00 नही
प्राप्त कर प्राधिकरण कोष में जमा कराया जाय।

6– विकास शुल्क कम लिये जाने से हानि रू0 6958=00 :– मान0/हरि0/157
अभियन्त्रण द्वारा प्रेषित आख्या में आर–1 अंकित था किन्तु विकास शुल्क 60.00 के
दर से चार्ज किया गया था। अतः 231.91 × 60 = 13915.00 के स्थान पर 6958.00
6957.00 प्राप्त कर जमा कराया जाय।

7– ध्वस्तीकरण हेतु अवगत न कराया जाना :– नोटिस संख्या 295/2001-
अरोड़ा की पत्रावली में शमन शुल्क की ग णना में अभियन्ता द्वारा नोट पृष्ठ 05 पर
में निर्मित दुकान महायोजना में जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार शमनीय नही है किन्तु
को अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में न ही सूचित किया गया और न ही ध्वस्तीकरण
ली गयी। केवल शमन गणना की जाँच की गयी थी।

इसी प्रकार अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में कोई नोटिस न दिये जाने हेतु
शमन शुल्क की धनराशि रू0 182967=00 ब्याज सहित जमा कराने की कार्यवाही

8– स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय अमान्य :– शिव नगर में नाला/सड़क
अवस्थापना समिति से रू0 41,49000=00 स्वीकृत था। कार्य का आगणन रू0 40,
किया गया था। दिनांक 7.6.2001 को निविदा आमंत्रित की गयी थी जिसमें न्यूनतम

प्रतिशत उच्च अर्थात् 4310286=56 स्वीकृत की गयी थी। अनुबन्ध निष्पादित की कार्यवाही अन्तिम चरण में थी कि निविदा समिति ने सड़क एवं नाले का अलग–अलग आगणन तैयार कराकर पुनः निविदा आमन्त्रित करने को उचित बताया तदनुसार उपाध्यक्ष ने दिनांक 23.6.2001 को स्वीकृति दी थी। इस अनुक्रम में नाले का व्ययानुमान 31,35,734=00 एवं सड़क का 10,13,419=88 का प्रेषित किया गया।

दुबारा टैण्डर मॉंगने पर जे0एस0 चौधरी को 9.10 प्रतिशत उच्च पर अर्थात् रू0 3321442=00 पर स्वीकृत किया गया। इस कार्य हेतु दिनांक 22.8.2001 को रू0 4,18,200=00 दिनांक 19.9.2001 को रू0 402608=90 तथा दिनांक 16.3.2002 को रू0 697236=61 का विचलन अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रथम एवं द्वितीय विचलन पर उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक दिनांक 27.8.2001 एवं 22.9.2001 को स्वीकृति दी गयी किन्तु तीसरे विचलन पर स्वीकृति नही प्राप्त की गयी थी। बिल भुगतान पर ही हस्ताक्षर थे। अतः रू0 697236=61 का विचलन की स्वीकृति प्राप्त की जाय। इस प्रकार केवल नाले निर्माण पर ही य0 4469118=49 व्यय किया गया। अतः अवस्थापना समिति से स्वीकृति के विरूद्ध रू0 320118=49 केअतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति अपेक्षित है।

(9) अमान्य भुगतान रू0 8800=00 :– मै0 ओम टूर एण्ड ट्रेवल्स को दिनांक 11.10.2002 को रू0 8800=00 का भुगतान सचिव हेतु दिनांक 24.9.2002 से 4.10.2002 तक टैक्सी पर व्यय किया गया था। प्राधिकरण में कई–कई वाहन उपलब्ध होने के वावजूद स्थानीय कार्य हेतु टैक्सी व्यय का औचित्य स्पष्ट कराया जाय।

(10) जे0सी0बी0 किराया रू0 59850=00 प्राप्त न किया जाना :– सचिव हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पत्रांक 425 दिनांक 22.6.2002 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूड़की को प्रेषित रू0 59850=00 का बिल अतिक्रमण एवं नालों की सफाई हेतु किराये के बावत भेजा गया था। वर्ष पर्यन्त यह किराया प्राप्त नही हुआ था। इसे प्राप्त कर प्राधिकरण कोष में जमा कराया जाय।

(11) श्री राकेश सिंह विष्ट को भुगतान रू0 12000=00 अनियमित :– अध्यक्ष/आयुक्त के लैप टाप पर पौड़ी में कार्यरत श्री राकेश सिंह विष्ट को वेतन मद से रू0 12000=00 का भुगतान किया गया था। प्राधिकरण कोष से यह भुगतान अनियमित था। शासन की स्वीकृति अपेक्षित है।

(12) श्री गोविन्द सिंह ड्राफ्ट मैन को वाहन भत्ते का भुगतान अनियमित :– श्री गोविन्द सिंह ड्राफ्ट मैन को रू0 350=00 प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ते का भुगतान किया गया था। जबकि प्राधिकरण हित

Scanned with CamScanner

मे वाहन का उपयोग करने हेतु इनकी फील्ड सेवायें नही थीं । ऐसी स्थिति मे ...
शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय।अन्यथा प्राप्त भत्ते की वसूली सुनिश्चित की जाय।

(13) विशेष वेतन बृद्धि की स्वीकृति अपेक्षित :— श्री सतेन्द्र पाल राणा, लेखाकार ... को विभागाध्यक्ष द्वारा एक विशेष वेतन बृद्धि स्वीकृत किया गया था। नियमों के ... जाय।

(14) श्री हरिशचन्द्र सिंह राणा अवर/सहायक अभियन्ता को अधिक वेतन भुगतान ... अभियन्ता प्राधिकरण में सहायक अभियन्ता पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे। ... 8275=00 मूल वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जा रहा था। इनकी नियुक्ति ... अवर अभियन्ता पद पर वेतनमान 1400—2300 में 1400=00 पर हुई थी 5 वर्ष की ... 16.2.1992 को वेतनमान 1640—2900 में 1640=00 निर्धारण किया गया था। नियुक्ति से 14 वर्ष की सेवा मानते हुए दिनांक 16.2.2001 को वेतनमान 8000—13500 ... निर्धारण किया गया। 05 वर्षवाद 1640—2900 का वेतनमान किस नियम/शासनादेश ... गया, स्थिति स्पष्ट की जाय। दिनांक 16.2.1992 से प्राप्त वेतनमान 1640—2900 ... सन्तोषजनक सेवा के बाद ही प्रोन्नत वेतनमान दिया जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध ... जाय अन्यथा,अधिक भुगतान की गणना करके वसूली की जाय।

(15) आय एवं व्यय से सम्बन्धित विविध अभिलेख अप्रस्तुत :— सम्परीक्षा में ... एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा अधियाचन निर्गत करने के वावजूद विविध आय ... अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। आय एवं व्यय से सम्बन्धित विस्तृत विवरण सम्परीक्षा ... के आपत्ति संख्या 05 एवं 10 पर कमशः अंकित है।

2— संस्था के परफोरमेन्स :— विकास सम्बन्धी कोई योजना विचाराधीन नही थी।

3— वित्तीय स्थिति :— सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों एवं बाहय संकलन के आधार ... की वित्तीय स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'ख' में अंकित है।

टिप्पणी :— (1) संलग्न वित्तीय स्थिति बजट हेतु प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर ... अनन्तिम है। प्रारम्भिक शेष गत सम्परीक्षा टिप्पणी के आधार पर लिया गया है।

(2) वर्ष 2003–2004 के प्रस्तावित बजट हेतु बोर्ड द्वारा स्वीकृत आंकड़ों में राजस्व आय का वर्ष 2002–2003 का वास्तविक योग 245.39 लाख के स्थान पर 224.91 लाख अंकित था। इसे शुद्ध कराया जाय।

(3) इसी प्रकार कुल राजस्व व्यय (अ+ब+स+द+य) 112.09 लाख अंकित था जबकि वास्तविक योग 111.28 लाख था। स्थिति स्पष्ट करते हुए शुद्ध किया जाय।

(4) लेजर के योगादि नही किये गये थे, जो किये गये थे, वे कच्ची पैंसिल से एवं अहस्ताक्षरित थे।

(5) बैंक समाधान विवरण तैयार कराकर बैंक पासबुकों की सहायता से इतिशेष का सत्यापन कराया जाय।

4– राजकीय अनुदान :– आलोच्य वर्ष में अनुदानों के प्रयुक्त /अप्रयुक्त का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ग" में अंकित है।

टिप्पणी :– (1) अनुदान पंजी अनुरक्षित नही थी। इसे अनुरक्षित कराया जाय।

(2) विगत वर्षो में प्राप्त अनुदान का विवरण गत सम्परीक्षा आख्या के आधार पर लिया गया है।। इसकी पुष्टि की जाय।

(3) विधायक कोटे से प्राप्त अनुदान में से रू0 1272600=00 सी0डी0ओ0 को वापिस कर दिया गया था।

5– राजकीय ऋण :– आलोच्य वर्ष में कोई राजकीय ऋण प्राप्त नही हुआ था और न ही कोई पूर्व ऋण प्रतिदान हेतु शेष था।

6– सम्परीक्षा शुल्क :– आलोच्य वर्ष की आय रू0 4,13,92,000=00 पर राजाज्ञानुसार रू0 1,24,700=00 का सम्परीक्षा शुल्क ज्ञाप निर्गत किया गया था। इसे राजकीय कोषागार में चालान सं0 03 दिनांक 06.8.2003 द्वारा रू0 1,24,700=00 जमा करा दिया गया था। कोषागार से इसकी पुष्टि करानी अपेक्षित है।

7– विनियोजन :– आलोच्य वर्ष के अन्त में प्राधिकरण के पास निम्न धनराशि विनियोजित थी।

क0सं0	बैंक का नाम	संख्या दिनांक	धनराशि	परिपक्वता तिथि
1–	ओ0बी0सी0 हरिद्वार	483491 / 1.10.2002	15316974=00	1.4.2003

2–	ओ0बी0सी0 ऋषिकेश	026195 / 18.11.2002	10000000=00	18.5.2003
3–	----तदैव----	582596 / 17.1.2003	17922226=00	17.6.2003
4–	ओ0बी0सी0 हरिद्वार	371729 / 31.1.2003	10850876=00	31.7.2003
5–	ओ0बी0सी0 ऋषिकेश	582870 / 17.6.2002	20000000=00	17.6.2003
6–	स्टेट बैंक पटियाला	265899 / 17.7.2002	4000000=00	17.7.2003
7–	----तदैव----	265900 / 17.7.2002	6000000=00	17.7.2003

8– **नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व :–** आलोच्य वर्ष में नकद परिसम्पत्ति एवं दा... तैयार नही किया गया था। इसे तैयार कराकर आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत कराया जा...

निष्कर्ष :– उपर्युक्त अनुच्छेदों के अवलोकन से विदित होगा कि लेखे में ... आवश्यकता है।

भाग–तीन में 15 आपत्तियाँ निहित हैं।

स्थान– देहरादून
दिनांक– 13.9.2004
रत्नेश कुमार श्रीवास्तव,
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

(पी0 के0 जैन)
सहायक निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा
देहरादून।

परिशिष्ट "क"

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार के अनिस्तारित आपत्तियों की सूची

वर्ष	अनुच्छेद	पद /भाग–3	कुल संख्या
1993–94	12,14,15,18,19,20	––	06
1994–95	21	––	01
1995–96	1(क)(ख)(1)(2)(3)(ग)	––	05
1996–97	1(क)1(ख)(1)(2)	––	03
1997–98	1(क),7टि0	––	02
1998–99	1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(12)(14)(15)	1,2,6,7,8,10,11,12	20
1999–2000	1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)(11)(12)(13)(14) (15),3टि0(1)(2)(3)(4)(5),4टि0,5टि0(1)(2) (3)(4),6टि0(1)(2),7,8	––	27
2000–2001	1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)2(क)(ख) 3टि0(1)(2)(3)4टि0(1)(2)(3),8, 4(1)(2)(3)	01से 04	24
2001–2002	1(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(9)(11) 2(1)(2),(1)(2)(3)(4),3टि0,4टि0	01से 12	25

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार के आय–व्यय की तालिका

(पूर्ण अंक रूपयों में)

वर्ष 2002–2003 में

क0 सं0	स्थानीय निकाय का नाम	1अप्रैल,02 को प्रा0 अथशेष	राजकीय अनुदानों एवं ऋणों के अतिरिक्त अन्य खातों से आय	अनावर्तक राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय ऋण	वर्ष की सम्पूर्ण आय	प्रा0 अथशेष सहित योग	वर्ष में हुआ व्यय	31मार्च, 2003 को अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(च)	5	6	7	8
	उपरोक्त	82066751	41320800	71200	—	—	41392000	123458751	26160000	97298751	—
	योग	82066751	41320800	71200	—	—	41392000	123458751	26160000	97298751	—

276

परिशिष्ट –4 (अनुच्छेद–4 में सन्दर्भित)

वर्ष 2002–2003 के अन्तर्गत हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क0सं0	राजकीय आदेश सं0 तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तिर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1(1)	आवास अनुभाग–। आ–57/9–आ–96–53 आई0डी0एस0एस0 टी0/96 दि0 31.3.96	संगठित विकास योजना केन्द्रांश	5300000}	31.3.96}	—	—	—	—	—	—
(2)	आ–57(1)/9–आ–96 –53 आई0डी0एस0 एस0 टी0/96 दि0 31.3.96	एकीकृत विकास योजना राज्यांश	3553000}	—	4857722	—	4857722	—	4857722	—
(3)	आ–27/9–आ–1–97 –6– आई0डी0 एस0 एस0 टी0/97 दि0 29.3.97	संगठित विकास योजना केन्द्रांश	1100000}	9.2.98}	—	—	—	—	—	—
(4)	आ–27(1)/9–आ–1 –97–6– आई0डी0 एस0 एस0 टी0/97 दि0 29.3.97	एकीकृत विकास योजना राज्यांश	1133000}	—	—	—	—	—	—	—
2	शासनादेश अनुपलब्ध	सौन्दर्यीकरण हेतु	110000	अज्ञात	102067	—	102067	—	102067	—
3	—तदैव—	सांस्कृतिक कार्यकम हेतु	अज्ञात	अज्ञात	55935	—	55935	—	55935	—
4	विधायक निधि :– जि0ग्रा0वि0अ0 हरिद्वार के पत्रांक 1177/वि0यो0/लेखा दिनांक 6.10.2001	7–शिवलोक में बाउन्ड्री निर्माण हेतु	67000	7.11.01}	—	—	—	—	—	—

Scanned with CamScanner

5	जि0ग्रा0वि0अ0 हरिद्वार के पत्रांक 1514/ वि0यो0/लेखा दिनांक 27.11.2001	ज्वालापुर में सी0सी0रोड	110000	3.12.01}	4205182					[illegible] धनराशि वापिस कर दी गयी।
6	जि0ग्रा0वि0अ0 हरिद्वार के पत्रांक 1700/ वि0यो0/लेखा/2001 –2002 दिनांक 22.12.2001	विभिन्न 07 कार्यो हेतु।	1479000	31.12.01}	—	—	—	—	—	—
7	जि0ग्रा0वि0अ0 हरिद्वार के पत्रांक 1730/ वि0यो0/लेखा/2001 –2002 दिनांक 26.12.2001	विभिंन्न 04 कार्यो हेतु।	1140000	31.12.2001}	—	—	—	—	—	—
8	जि0ग्रा0वि0अ0 हरिद्वार के पत्रांक 2151/ वि0यो0/लेखा/2002 –2003 दिनांक 8.3.2003	विविध निर्माण हेतु।	71200	12.3.03	—	71200	71200	—	71200	—

Scanned with CamScanner

(1)

274 74

निदेशक, कोषागार एवं वित्तसेवाएँ, सह स्टेट इन्टर्नल आडिट, उत्तरांचल
स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा प्रभाग

27/6

सम्परीक्षा आख्या- भाग - 3

संस्था का नाम - हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार

अवधि - 2002-2003

1. ~~सम्पत्ति लोक~~ योजना - व्याज न लेने से प्राधिकरण को हानि :-

इस सम्पत्ति का आबंटन मे० कैपिटल होटल ऐण्ड डेवलपर्स लि० को किया गया था। इनको त्रैमासिक किश्तें 11,39225=00 निर्धारित की गयी थी। समय से जमा न करने पर 18% वार्षिक दण्ड व्याज का प्राविधान था। किश्तें लगातार विलम्ब से जमा की जा रही थीं किन्तु व्याज का समायोजन नहीं किया जा रहा था। सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया, कि किश्तें पूरी होने के बाद व्याज लिया जाएगा। इससे प्राधिकरण को हानि हो रही थी एवं शर्तों का उल्लंघन हो रहा था। व्याज का आगणन करते हुए किश्तें

के साथ ही ब्याज लिया जाय अन्यथा ब्याज का समायोजन पूर्व किश्त से किया जाना अपेक्षित है।

2. समाचार पत्रों / पत्रिकाओं का क्रय अनियमित :- सी० सी० कैम्प हेतु मार्च 2002 से अगस्त 2002 तक समाचार पत्र - पत्रिकाओं पर चेक संख्या 004207/ 7 सितम्बर 02 द्वारा रू० 5967=00 तथा सचिव कैम्प कार्यालय हेतु अप्रैल 2002 से जुलाई 2002 तक 1210=00 व्यय किया गया था। आवास पर पत्र - पत्रिकाओं हेतु किया गया व्यय अनियमित था इसकी वापसी अपेक्षित है।

3. मानव / हरि० / 158 / 2003 अशोक कुमार हरबंशलाल, सब - डिवीजन शुल्क कम लिया जाना :- सब - डिवीजन शुल्क की गणना में 3771=00 के स्थान पर 3731=00 ही जमा किया गया था। रू० 40=00 जमा कराया जाय।

(37)

(75)

(273)

मान०/हरि०/166/2002-2003 :-

हरिद्वारी लाल साहू :- 421=05 (21/5)

उक्त मानचित्र में

पर्यवेक्षण शुल्क 84.21x5 = 421=05

नहीं लिया गया था / इस सम्बन्ध में

कोई नियम हो तो अवगत कराया जाय

अन्यथा इसकी वसूली करायी जाय/

मानचित्र पत्रावलियाँ अप्रस्तुत :-

सम्परीक्षा में बार-बार

माँग किए जाने के बावजूद मानचित्र

से सम्बन्धित निम्नांकित पत्रावलियाँ

जो उप-सम्परीक्षा माह से सम्बन्धित

है प्रस्तुत नहीं की गयीं / इन्हें प्रस्तुत

कराया जाय।

पत्रावली संख्या	नाम
मान०/हरि०/164	धर्मपाल सिंह
— " / 165	भगत सिंह
— " / 67	गोकुल चन्द
— " / 130	सुनीता गुप्ता
— " — 175	सुनील चौहान
— " — 142	रोमशा अग्रवाल
— " — 176	सुरेन्द्र कुमार सैनी

Scanned with CamScanner

मान०/ह०रि०/177 प्रेमकान्ता
(8) —"— 178 नित्यश्रद्धानन्द
(9) —"— 179 सुभाष कुमार
(10) —"— 180 कृष्णलाल सैनी
(11) —"— 181 जीवेन्द्र सिंह
(12) —"— 182 अर्जुन पुरी
(13) —"— 183 सरला कुमारी
(14) —"— 184 नवीन काम्बोज
(15) —"— 140 अनोखा राम
(16) —"— 185 अनीता सिंह
(17) —"— 80 राकेश कुमार
(18) —"— 186 भारत प्रयाग गिरि
(19) —"— 187 सतीश कुमार
(20) —"— 188 कल्लू हसन
(21) —"— 189 हंसराज सिंह
(22) —"— 176 सुरेन्द्र कुमार सैनी
(23) —"— 190 नरेन्द्र पाल
(24) —"— 191 चन्द्र पाल मालिक
(25) —"— 165 गगनदीप वत्रा
(26) —"— 192 मंगलानन्द
(27) —"— 184 नवीन कुमार
(28) —"— 183 सरला कुमारी
(29) —"— 193 अर्जुन पुरी
(30) —"— 02 वेद प्रकाश
(31) —"— 137 संजय सैनी
(32) —"— 144 शीतल शर्मा
(33) —"— 119 ममता
(34) —"— 145 प्रेम मुरारी
(35)

Scanned with CamScanner

(5)

272 (76)

(36) मान०/हरि०/146 धनेश्वर दत्त
(37) —"— 177 स्वामी सुरेश
(38) —"— 147 मंजूर हसन
(39) —"— 115 सुधा
—"— 110 वेद प्रकाश
(40) —"— 43 महेशचन्द्र
(41) —"— 121 भुवनचन्द्र
(42) —"— 138 अतुल
(43) —"— 262 रामानन्द
(44) —"— 122 आशाराम
(45) —"— 161 हरिकृष्ण
(46) —"— 128 ज्ञानरंजन
(47) —"— 129 सरोज
(48) —"— 163 महेन्द्र कुमार
(49) शमन पत्रावली - शाखा की
(50) 354/86 दि० 31/10/02

लेखा आडिट द्वारा

(1) ले०आ०/78/02-03
(2) —"— 81/ —"—
(3) —"— 82/ —"—

27/4

(6) मान०/हरि०/174 } पत्रावली में
2002-2003 } भवन उपविधि

में दिए गए प्राविधानों को अंकित नहीं किया गया था। अवर अभियन्ता द्वारा इसे दर्ज न किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

7. सूत डिकोरेटर्स को भुगतान रु० 3900=00 :–

उपरोक्त फर्म को दि० 16.9.02 को उपाध्यक्ष कक्ष में कारपेट रिपेयर का भुगतान किया गया था। भुगतान हेतु प्राप्त बिल, बिल फार्म पर नहीं था। इसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। इस प्रथा पर रोक लगायी जाय।

8. फोटोकापी बिल का भुगतान :–

दिनांक 3.10.02 को के० फोटोस्टेट सेन्टर को रु० 6457=00 एवं बैरी संज को रु० 1719=00 फोटोस्टेट हेतु भुगतान किया गया था। संस्था में फोटोकापी मशीन उपलब्ध होने के बावजूद इस व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

Acct

9. पेट्रोल/डीजल पर बजट प्राविधान से अधिक व्यय :–

आलोच्य वर्ष में पेट्रोल डीजल पर बजट में 6,00000=00 प्रस्तावित था किन्तु रु० 7,84000=00 व्यय किया गया था।

27/8

इसके अतिरिक्त वाहन किराए पर भी भुगतान किया गया था। इसमें मितव्ययीता बरता जाना अपेक्षित था। निम्नांकित पर कार्यवाही अपेक्षित है।

(1) वाहन संख्या 9933 की लागबुक के अनुसार सितम्बर माह में 245 लीटर एवं अक्टूबर माह में 275 लीटर पेट्रोल व्यय किया गया था। प्रायः लागबुक पर वी० आई० पी० लिखकर व्यय किया गया था। यात्रा का उद्देश्य। नाम आदि अंकित कराया जाना अपेक्षित है।

(2) वाहन संख्या 9595 माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2002 में क्रमशः 205 एवं 192 लीटर पेट्रोल व्यय किया गया था। यह वाहन टी० पी०। सहायक अभियन्ता के पास था जब कि दोनों अधिकारियों को वाहन भत्ता निजी वाहन हेतु दिया जा रहा था। कई तिथियों में लागबुक पर हस्ताक्षर भी नहीं था। वाहन भत्ता दिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(3) अतिरिक्त प्रभार प्राप्त अधिशासी अभियन्ता को देहरादून से लेने एवं पहुँचाने हेतु वाहन भेजे जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका।

Scanned with CamScanner

व्यय सम्बन्धी अभिलेख अप्रस्तुत :

निम्नांकित अभिलेख/पत्रावली पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इसकी जाँच नहीं हो सकी सम्बन्धित से [illegible] कार्यवाही अपेक्षित है।—

दिनांक	धनराशि	विवरण
3.9.02	21,127=00	संजय कुमार को भु[illegible]
—〃—	19650=00	फ्लोरेट प्रिन्टर्स
9.9.02	548124=00	धर्मपाल सैनी
—〃—	1,15481=00	लिंक इन्टरप्राइजेज
11.9.02	25755=00	दूरराज खबरें
24.9.02	9000=00	छपाई व्यय
3.10.02	819=00	विज्ञापन व्यय
—〃—	10,000=00	विकास इण्डस्ट्रीज
16.10.02	4015=00	आलमारी क्रय
19.10.02	3,42595=00	एक्सप्रेस एजेन्सीज
—〃—	54119=00	अक्षय मुद्रा
30.10.02	4845=00	जागरण प्रकाशन
31.10.02	5388=00	हंसा स्टेशनर्स
—〃—	7914=00	सूर्या इन्टरप्राइजेज
—〃—	10,000=00	रामानन्द

(9)

(78)

श्री कामेश्वर राठी, उद्यान निरीक्षक (27०)

अग्रिम रु० 10,000=00 :-

पत्रावली के (27/2)

28/7/06

उपाध्यक्ष ने नगर पालिका हेतु के आडीटोरियम की सफाई हेतु मौखिक आदेश दिए थे, जिसे सचिव ने स्वीकृति प्रदान की थी। इस व्यय में आडीटोरियम की जंगल सफाई एवं घास छिलाई पर रु० 6216=00 व्यय कर दिया गया था। मस्टरोल के अनुसार 10 मजदूरों ने 111 दिनों में उक्त कार्य किया तथा 111 x 56 = 6216=00 का भुगतान किया गया। इस कार्य का स्टीमेट आदि तैयार कर स्वीकृति ली जानी थी, जो नहीं ली गयी। यह स्थल भी साफ-सुथरे स्थान पर स्थित है अतः जो कार्य नगरपालिका द्वारा कराया जाना था, उसे प्राधिकरण द्वारा कराकर अतिरिक्त व्यय किया गया। इसका औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका। जवाबदेही सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

H.I.

12. गमलों का भौतिक सत्यापन अपेक्षित :- वर्ष 2000-2001 से ही 153 गमलों में 283 अवशेष स्टाक पंजी में दर्ज था। 470 गमलों की स्थिति अज्ञात रही। आलोच्य वर्ष में 400 गमले खरीदे गए। इनका भौतिक सत्यापन कराते हुए निष्प्रयोज्य का भी सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अपेक्षित है।

AE

13. रीवनगरों में सड़क बनाने का कार्य अननुमोदित व्यय :- रु० 865834=00 अवस्थापना के उक्त कार्य हेतु समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। अतः यह व्यय समिति से अनुमोदित कराया जाय।

AE

14. वार्ड नं० 22 में यू० एन० मिश्रा के मकान से यू० पी० मोटर्स तक सड़क नाली निर्माण :- यह कार्य तारकोल सड़क एवं नाली निर्माण हेतु रु० 3,84... में स्वीकृत था। नोट पृष्ठ 7 पर अभियन्ता द्वारा जनता की माँग पर तारकोल के स्थान पर सी० सी० रोड...

27/1

बनाने का प्रस्ताव किया गया तथा सी०सी० के अलग मद 100695=54 की स्वीकृति अधीशासी अभियन्ता से माँगी गयी थी। ~~इस प्रकार टेण्डर की भावना को ही समाप्त किया गया~~। इसके लिए अवस्थापना समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक था।

कार्य समाप्ति तिथि 24.3.02 थी जबकि समयवृद्धि 25.5.02 को प्रस्तावित किया गया। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा लिखा गया है अप्रैल माह में फसल कटाई के कारण लेबर नहीं मिल पायी। इससे स्पष्ट था कि मार्च के बाद अप्रैल/मई में ही समयवृद्धि की माँग की गयी, जो देय नहीं थी। इस पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाना अपेक्षित है।

15. हरिलोक योजना - सम्पत्ति रजिस्टर अप्रमाणिक :-

यह रजिस्टर निर्धारित प्रारूप पर नहीं था। यह किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित

भी नहीं था। भवन का मूल्य, किश्त संख्या आदि नहीं भरा गया था। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था। निर्धारित प्रारूप पर यह पंजी बनाकर सत्यापन सहित प्रस्तुत किया जाय।

देहरादून,
दिनांक -

सहायक निदेशक
स्थानीय निधि लेखा

रतेश श्रीवास्तव
वरिष्ठ लेखा-परीक्षक

Scanned with CamScanner